## छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था(प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008

## बी0ए0एम0एस0, बी0एच0एम0एस0, बी0यू0एम0एस0 एवं बी0एन0वाय0एस0 पाठ्यक्रम में अंतरिम फीस का निर्धारण संकल्प दिनांक 08/09/2022 के तहत किया जा रहा है ।

### संकल्प दिनांक 08/09/2022

छ0ग0 निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था(प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 के अंतर्गत निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में संचालित बी0ए0एम0एस0, बी0एच0एम0एस0, बी0यू0एम0एस0 एवं बी0एन0वाय0एस0 पाठ्यक्रम में फीस का निर्धारण 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 के लिए किया जाना है । उक्त पाठ्यक्रम संचालित संस्थाओं से प्रोसेसिंग फीस एवं जानकारी बुलायी जावें । प्रोसेसिंग फीस एवं जानकारी जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् संस्थाओं का निरीक्षण भी किया जाना होगा, इसलिए नियमित शुल्क के निर्धारण में समय लग सकता है ।

अतः वर्तमान में निजी शिक्षण संस्थाओं में संचालित बी0ए0एम0एस0, बी0एच0एम0एस0, बी0यू0एम0एस0 एवं बी0एन0वाय0एस0 पाठ्यक्रम में फीस का निर्धारण अंतरिम स्वरूप का ही किया जाना यह समिति उपयुक्त पाती है।

1. छ0ग0 निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था(प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 की धारा 9(1) एवं (2) के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नांकित निजी मेडिकल कॉलेजों में संचालित बी0ए0एम0एस0, बी0एच0एम0एस0, बी0यू0एम0एस0 एवं बी0एन0वाय0एस0 पाठ्यक्रम में अंतरिम फीस का निर्धारण उनके नाम के सम्मुख दर्शाएं अनुसार शिक्षण सत्र 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 के लिए किया जाता है:

...2

2. बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम में अंतरिम फीस का निर्धारण शिक्षण सत्र 2022- 2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 के लिए निम्नानुसार किया जाता है:

| स0 क्र0 | निजी बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम संचालित मेडिकल कॉलेजों के नाम | Total Fees(Inclusive of Growth & Development Charges and all other misc. fees per year/per student |
|---|---|---|
| 1 | राजीव लोचन आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, चंद्रखुरी, गुण्डरदेही रोड़ दुर्ग छ0ग0 | Rs. 1,28,315/- |
| 2 | छत्तीसगढ़ आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, ग्राम-मनकी, गुण्डरदेही रोड़ दुर्ग छ0ग0 | Rs. 1,28,315/- |
| 3 | भारती आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, दुर्ग छ0ग0 | Rs. 1,28,315/- |
| 4 | महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेद साईस सुन्दरा राजनांदगांव छ0ग0 | Rs. 1,28,315/- |

3. बी0एच0एम0एस0 पाठ्यक्रम में अंतरिम फीस का निर्धारण शिक्षण सत्र 2022- 2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 के लिए निम्नानुसार किया जाता है:

| स0 क्र0 | निजी बी0एच0एम0एस0 पाठ्यक्रम संचालित मेडिकल कॉलेजों के नाम | Total Fees(Inclusive of Growth & Development Charges and all other misc. fees per year/per student |
|---|---|---|
| 1 | छदामी लाल चौकसे मेमोरियल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेंटर लाल खदान, बिलासपुर | Rs. 66,129/- |
| 2 | रायपुर होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय, रामकुण्ड चौबे कालोनी रायपुर छ0ग0 | Rs. 66,129/- |
| 3 | महाराणा प्रताप होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर छ0ग0 | Rs. 63,129/- |

...3

4. बी0एन0वाय0एस0 पाठ्यक्रम में अंतरिम फीस का निर्धारण शिक्षण सत्र 2022- 2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 के लिए निम्नानुसार किया जाता है:

| स0 क्र0 | निजी बी0एन0वाय0एस0 पाठ्यक्रम संचालित मेडिकल कॉलेज का नाम | Total Fees(Inclusive of Growth & Development Charges and all other misc. fees per year/per student |
|---|---|---|
| 1 | श्री महावीर प्राकृतिक एवं योग विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय, राधिका नगर सुपेला भिलाई छ0ग0 | Rs. 62,629/- |

5. बी0यू0एम0एस0 पाठ्यक्रम में अंतरिम फीस का निर्धारण शिक्षण सत्र 2022- 2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 के लिए निम्नानुसार किया जाता है:

| स0 क्र0 | निजी बी0यू0एम0एस0 पाठ्यक्रम संचालित मेडिकल कॉलेज का नाम | Total Fees(Inclusive of Growth & Development Charges and all other misc. fees per year/per student |
|---|---|---|
| 1 | मोहसिने मिल्लत यूनानी मेडिकल कॉलेज, ग्राम-खुटेरी, मंदिर हसौद रोड़, रायपुर छ0ग0 | Rs. 66,900/- |

चूंकि बी0ए0एम0एस0, बी0एच0एम0एस0, बी0एन0वाय0एस0 एवं बी0यू0एम0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश संबंधी काउंसिलिंग की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ होनी है, इसलिए छात्रहित को ध्यान में रखते हुए बी0ए0एम0एस0, बी0एच0एम0एस0, बी0एन0वाय0एस0 एवं बी0यू0एम0एस0 पाठ्यक्रमों में फीस का निर्धारण अंतरिम स्वरूप का ही किया जाना यह समिति उपयुक्त पाती है ।

उपर्युक्त फीस अंतरिम फीस है । बी0ए0एम0एस0, बी0एच0एम0एस0, बी0एन0वाय0एस0 एवं बी0यू0एम0एस0 पाठ्यक्रमों के संबंध में तत्कालीन समिति द्वारा पारित संकल्प दिनांक 16/05/2019 के अंतर्गत जो शर्तें एवं निर्देश दिए गये हैं, वे बंधनकारी होंगे ।

उक्त अंतरिम फीस जो निर्धारित की गई है, की प्रति अधिनियम, 2008 की धारा 4(8) के अनुसार आवश्यक अधिसूचना हेतु सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा(आयुष) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर छ0ग0 की ओर भेजी जाएं एवं एक प्रति संचालक, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी, (आयुष) छत्तीसगढ़, पुराना नर्सेस हॉस्टल, डी0के0एस0 भवन परिसर, रायपुर छ0ग0 की ओर वेबसाईट में अपलोड करने एवं शीघ्र अधिसूचना बाबत् शासन से पहल करने हेतु भेजी जाएं ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8/9/22 | | 8/9/22 | |
| (प्रभात कुमार शास्त्री) | (अवनीश कुमार शरण) | (डॉ0 विष्णु दत्त) | (योगेश वर्ल्यानी) |
| अध्यक्ष | संचालक(तकनीकी शिक्षा)पदेन | संचालक चिकित्सा शिक्षा)पदेन | सदस्य(वित्त) |
| एएफआरसी | एएफआरसी | एएफआरसी | एएफआरसी |